न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2020 (राजसमन्द आर्डर)

लक्ष्मणसिंह पिता पृथ्वीसिंह जी चन्दाणा (राजपूत), निवासी सिरोही की भागल, गांव गुड़ा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दिनांक 02–11–2020 प्रकरण सं0 104/2019

———::———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिरोही की भागल में आराजी नंबर 1974, 3386 कुल किता 2 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। उक्त आराजियात गत पैमाईश नंबर 2529 रकबा 81 बीघा 15 बिस्वा किस्म बिलानाम से बनी है। मूल नंबर 2529 जो तत्कालीन समय में बिलानाम दर्ज थी तथा बाद में उसके नये नंबर 2529/मी.1 बना, जिससे आराजी नंबर 1974 व 3386 तथा आराजी नंबर 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 बने। प्रार्थी को आराजी नंबर 2529 में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 14–04–1975 को जिलाधीश उदयपुर द्वारा आवंटित कर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया था तथा प्रार्थी को गैर खातेदार घोषित किया गया तब से प्रार्थी का अधिपत्य चला आ रहा है, जिसे 10 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। आवंटन के 10 वर्ष बाद प्रार्थी को खातेदार अधिकार प्राप्त हो गये किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं किया, जिससे उक्त भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज हो गयी। वर्तमान में प्रार्थी का आधिपत्य आराजी नंबर 1974 व 3386 पर है तथा चारों ओर पत्थर की बाड़ा बना रखी है। प्रार्थी गत पैमाईश नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

2529 वर्तमान नंबर 1974 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व 3386 रकबा 2 बीघा अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रार्थी के आधिपत्य की जानकारी विपक्षी को होते हुए 40 वर्षो तक कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु दिनांक 01–08–2019 को धारा 91 के नोटिस जारी कर प्रार्थी का नाजायज कब्जा होना बताया, जबकि प्रार्थी अतिक्रमी नहीं होकर आवंटन के आधार पर काबिज है। विपक्षी प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को आराजी नंबर 1974, 3386 में उसके उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करें।

विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन चरनोट होकर प्रार्थी का कोई आधिपत्य नहीं है, न ही उन्हें कभी कब्जा सिपुर्द किया गया है। विवादित आराजियात ग्राम पंचायत के अधीन है, जिस पर प्रार्थी का कोई आधिपत्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–11–2020 से प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–11–2020 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक आराजी नंबर 2529 में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलान्ट को आवंटित की जाकर उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया है, जिसके हाल सेटलमेन्ट में नंबर 1974 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व 3386 रकबा 2 बीघा बने, जिस पर आवंटन दिनांक से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त आराजी पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा बताकर धारा 91 के नोटिस दिये जो गलत है, क्योंकि अपीलान्ट का कब्जा नाजायज नहीं होकर विधिवत आवंटन के आधार पर है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो पूर्णतया गलत होकर विधि विरूद्ध है अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में किया गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh
Rawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया विवादित आराजियात चारागाह होकर ग्राम पंचायत के अधीन है तथा ग्राम पंचायत के अधीन होकर पंचायत के हित निहित हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न संलग्न प्रपत्र 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय उपजिलाधीश उदयपुर द्वारा ग्राम सिरोही की भागल की साबिक आराजी नंबर 2529 में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलान्ट लक्ष्मणसिंह को आवंटित की गयी थी। अपीलान्ट ने उक्त आवंटित साबिक आराजी नंबर 2529 से हाल आराजी नंबर 1974 व 3386 बनना बताया है तथा आराजी नंबर 1974 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व आराजी नंबर 3386 रकबा 2 बीघा पर अपना कब्जा होना बताया है, जबकि यह भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। आराजी नंबर 1974 पर अपीलान्ट के नाजायज कब्जे बाबत् तहसीलदार द्वारा उसे धारा 91 के तहत नोटिस भी जारी किये गये हैं, जबकि विवादित आराजी नंबर 2529 में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलान्ट लक्ष्मणसिंह को आवंटित होना स्पष्ट है। अपीलान्ट का उक्त आवंटित रकबे पर ही कब्जा है अथवा उनका नाजायज कब्जा है इसका निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु वर्तमान में आराजियात चरनोट दर्ज होने से विपक्षी द्वारा प्रार्थी को यदि उसे मौके से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट के वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–11–2020 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी को मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर